

पत्रावली पेश हुयी वादी व वकील वादी अपस्थित नही
 वादी व वकील वादी को न्यायालय समय में बार-बार
 आवाजे लगाई गई परन्तु बिना कोई उचित कारण
 के अनुपस्थित रहे। अतः दावा वादी अदम हजरी व
 अदम पंखी में स्वारिज किया जाता है। निवेदन
 खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली कुल
 शुमार ठेका नम्बर से कम है। बाद तकमील तरीके
 दाखिल दफ्तर है।

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]